मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

बुधवार, दिनांक 28 मार्च, 2012 (चैत्र 8, 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.34 बजे समवेत हुई.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित में से 19 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 77 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 86 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य ने टीकमगढ़ जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कर्मियों को वेतन न मिलने,
(2) श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य ने बिछिया क्षेत्र के ग्रामों में पेयजल संकट होने,
(3) श्री हेमराज सिंह कल्पोनी, सदस्य ने राजगढ़ जिले में शासकीय कन्या महाविद्यालय बंद होने,
(4) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य ने इंदौर के सांवेर रोड के औद्योगिक क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने,
(5) श्री शरद जैन, सदस्य ने जबलपुर के पास सागर दमोह रोड पर शासकीय स्वास्थ्य केन्द्र न होने,
(6) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने विजयपुर क्षेत्र के गोहता पंचायत के मजरा-सरगडांडा में पेयजल समस्या होने,
(7) श्रीमती साधना स्थापक, सदस्य ने नरसिंहपुर जिले के बारह बड़ा स्कूल में छात्रा को अपमानित करने,
(8) श्री बृजराज सिंह चौहान, सदस्य ने श्योपुर में कराहल बरगवां रोड का घटिया स्तर का निर्माण होना, तथा
(9) श्री नारायण प्रजापति, सदस्य ने सागर के बण्डा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सक द्वारा प्रसूता को परेशान करने

सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मध्यप्रदेश का प्रशासकीय प्रतिवेदन, वर्ष 2010-11 पटल पर रखा।

(2) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री, खनिज साधन ने मॉयल लिमिटेड की 49 वीं वार्षिक रिपोर्ट, वर्ष 2010-11 पटल पर रखी।

(3) श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का वार्षिक लेखा , वर्ष 2008-09 पटल पर रखा।

4. ध्यान आकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से नियम (138) (3) को शिथिल करके, आज की दैनिक कार्यसूची में उल्लेखित 4 ध्यानाकर्षण सूचनाएं सदन में लिये जाने सम्बन्धी घोषणा की गई। तद्नुसार –

(1) श्री आशाराम अहिरवार, सदस्य ने दतिया जिले के भाण्डेर क्षेत्र के हंसापुर बांध में गेट न लगाये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री जयंत मलैया, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) सर्वश्री देवेन्द्र वर्मा, सदस्य ने खंडवा नगर में अतिक्रमण की शिकायत के बाद भी पुलिस द्वारा बलात कब्जा हटाने की कार्यवाही न किये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) सर्वश्री प्रद्युम्न सिंह तोमर तथा रामनिवास रावत, सदस्यगण ने ग्वालियर शहर में विद्युत वितरण व्यवस्था निजी हाथों में सौंपी जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री, ऊर्जा ने इस पर वक्तव्य दिया।

(सर्वश्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एवं एदल सिंह कंसाना, सदस्यगण शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर गर्भगृह में आकर बैठ गए तथा आसंदी के निर्देशानुसार वापस अपने आसनों पर गए।)

(4) श्री प्रेमनारायण ठाकुर, सदस्य ने छिन्दवाड़ा जिले के अमरवाड़ा क्षेत्र में ओला पीड़ित कृषकों को मिले चेकों का भुगतान न होने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. अध्यक्षीय व्यवस्था

प्रतिबंधित मादक द्रव्यों के सेवन की प्रवृत्ति पर रोकथाम सम्बन्धी कार्यशाला तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि - "आज दिनांक 28 मार्च 2012 को अपरान्ह 1.00 बजे से 2.30 बजे की अवधि में विधान सभा परिसर स्थित ऑडिटोरियम में प्रतिबंधित मादक द्रव्यों के सेवन की प्रवृत्ति पर रोक थाम विषय पर कार्यशाला तथा कार्यक्रम के उपरान्त माननीय श्री गोपाल भार्गव, मंत्री सामाजिक न्याय की ओर से विधान सभा भवन के परिसर में मध्यान्ह भोज आयोजित किया गया है ।

इसके साथ ही, रात्रि 7.30 बजे ऑडिटोरियम में विधायक क्लब के तत्वावधान में माननीय सदस्यों के लिए सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया है जिसमें मुम्बई की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुश्री मधुश्री गीत संगीत प्रस्तुत करेंगी. कार्यक्रम उपरान्त माननीय श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, संस्कृति मंत्री की ओर से रात्रि भोज आयोजित है।

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि उपर्युक्त कार्यक्रमों में उपस्थित होने का कष्ट करें। "

6. सम्पत्ति विवरण का पटल पर रखा जाना

श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन तथा श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, सहकारिता मंत्री द्वारा अपने और अपने परिवार के सम्पत्ति विवरण सदन के पटल पर रखे गये।

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

निम्नलिखित सदस्यगण द्वारा दैनिक कार्य सूची में उल्लेखित याचिकाएं प्रस्तुत की गई :-

(1) श्रीमती उमादेवी खटीक (जिला-दमोह)
(2) श्री मानवेन्द्र सिंह (जिला-छतरपुर)
(3) चौधरी मेर सिंह (जिला-छिन्दवाड़ा)

8. अध्यक्षीय व्यवस्था

नियम शिथिल कर विधेयक के पुरःस्थापन एवं विचारण विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक,2012 (क्रमांक 11 सन 2012) की महत्ता एवं उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए, आज ही वितरित किये गये विधेयक को स्थायी आदेश की कंडिका 24 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को शिथिल कर आज ही सदन में पुरःस्थापन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने एवं मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 65 (1) के परन्तुक की अपेक्षाओं को शिथिल कर आज ही विचार में लिये जाने की अनुमति प्रदान की है .

चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य, द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया कि मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 274 तथा अध्यक्ष महोदय के स्थायी आदेश की कण्डिका 24 के परन्तुक का पालन करना तथा कार्य मंत्रणा समिति के माध्यम से विधेयक पर चर्चा का समय नियत करना आवश्यक है.

डॉ.नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सदन की कार्यवाही के संक्षिप्त कार्य विवरण का उदाहरण देकर मत व्यक्त किया गया कि पूर्व में भी नियम शिथिल करके विधेयक के पुरःस्थापन एवं विचारण संबंधी अनुमति प्रदान की गई है.

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि- "अपवाद-स्वरूप नियमावली में नियमों को शिथिल करने का अधिकार अध्यक्ष के पास है और उसी अधिकार का उपयोग मैंने किया है। जहां तक सामान्य कार्यवाही का मामला है, उसमें कार्य मंत्रणा समिति में हर विषय पर चर्चा होती है, समय तय होता है लेकिन अध्यक्ष को यह अधिकार दिया है कि वह अपवाद स्वरूप नियम 274 के अधीन इस अधिकार का उपयोग करके नियमों को शिथिल कर सकता है. ऐसे मौके पूर्व में अनेक बार आये हैं. आप चाहेंगे तो इसकी पूरी सूची दे दूंगा. अतः मैं चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य की आपत्ति को अग्राह्य करता हूं. "

(अपराह्न 1.02 से 3.05 तक अन्तराल)

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 11 सन् 2012) को सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया तथा शक्कर, कपड़ा और बिजली पर बजट में प्रस्तावित वैट टैक्स वापस लेने संबंधी घोषणा की।

(2) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री, ऊर्जा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क विधेयक, 2012 (क्रमांक 9 सन् 2012) पर विचार किया जाय।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति
(2) श्री पारस सकलेचा
(3) श्री रामनिवास रावत

श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री, ऊर्जा ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरान्त)

श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री ऊर्जा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क विधेयक, 2012 (क्रमांक 9 सन् 2012) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

10 अध्यक्षीय व्यवस्था

भारसाधक मंत्री के स्थान पर राज्यमंत्री द्वारा विधेयक प्रस्तुत करने विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि – "आज की दैनिक कार्यसूची में उल्लेखित मध्यप्रदेश जन शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 6 सन् 2012) के प्रस्तावक भारसाधक सदस्य (विभागीय मंत्री) के अनुरोध पर मध्यप्रदेश विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 66 के परन्तुक के अनुसार राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग को यह विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की गई है।"

11. स्वागत-उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री थावरचंद गेहलोत, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तथा नव निर्वाचित राज्यसभा सदस्य की अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थिति पर सदन की ओर से स्वागत किया गया।

12. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

(3) श्री नानाभाऊ मोहोड़, राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश जन शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 6 सन् 2012) पर विचार किया जाय।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर
(2) श्री पारस सकलेचा

श्री नानाभाऊ मोहोड़, राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरान्त)

श्री नानाभाऊ मोहोड़, राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश जन शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 6 सन् 2012) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(4) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 11 सन् 2012) पर विचार किया जाय।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
(2) श्री ओमप्रकाश सकलेचा

(3) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
(4) श्री शैलैन्द्र कुमार जैन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने विधेयक के खण्ड 1, 10, 13, 26 एवं 27 में संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव किये।

संशोधन स्वीकृत हुए।
यथा संशोधित खण्ड 1, 10, 13, 26 एवं 27 विधेयक के अंग बने।
खण्ड 2 से 8, 11, 12, 14 से 25 इस विधेयक के अंग बने।
पूर्णनाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 11 सन् 2012) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 4.54 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 29 मार्च, 2012 (चैत्र 9, 1934) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 28 मार्च, 2012